प्रस्तावना

भारतीय सेना को सामरिक रूप से सुसज्जित रखने के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप शस्त्रों, वाहनों तथा उपकरण की मरम्मत तथा ओवरहाल का कार्य करते हैं। आठ आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू) हैं, जिनमें से पाँच एबीडब्ल्यू यथा 505 एबीडब्ल्यू, दिल्ली; 509 एबीडब्ल्यू, आगरा; 510 एबीडब्ल्यू, मेरठ; 512 एबीडब्ल्यू, किरकी तथा 515 एबीडब्ल्यू, बंगलुरू को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

समयोचित ओवरहाल करना, आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों की समय पर उपलब्धता तथा मरम्मतों की गुणवत्ता के संबंध में वर्कशॉप की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान "आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन" की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की गई । प्रणालीगत कमियों को रेखांकित करते हुए तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करते हुए, यह रिपोर्ट एबीडब्ल्यू के कार्यचालन में समग्र सुधार लाने का प्रयास करती है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए संपादित की गई है तथा यह रिपोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार की गई है।